



DRM OFFICE  
SAFETY BRANCH,  
NAGPUR

No. NGP/SFT.101.Z/SI/2025-26

दिनांक : 03.04.2025

All Concerned,  
Nagpur Division

**SAFETY INSTRUCTIONS NO. 01/2025-26**

विषय: आग की रोकथाम।

आग: यह एक ऐसी रसायनिक क्रिया है जो ऊष्मा पैदा करती है। किसी भी स्थान पर आग लगने के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है -

- ☞ जलाने वाला पदार्थ
- ☞ तापमान और
- ☞ ऑक्सीजन

आग के मामले में उसका प्रारम्भिक अवस्था में पता लगाकर उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने से उसे बड़ी आग में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है।

**A. आग लगने के सामान्य कारण :**

रेल परिसरों में आग लगने के सामान्य कारण निम्नलिखित होते हैं -

- कचरों का अनावश्यक रूप से जमाव कर देना।
- स्टेशन परिसर में बीड़ी सिगरेट पीना ।
- रेल पटरियों के आसपास सुखी घास का होना।
- लूज इलेक्ट्रिक वायरिंग का होना ।
- विद्युत गेजेट्स का अधिकतम समय तक चालू स्थिति में रखना।
- उचित एम्पियर के साकेट का न लगाना।
- रिले रूम के एसी को नियमित अंतराल पर बंद चालू न करना।
- पार्सल कार्यालय में पार्सलों को सही तरीके न रखना।
- ट्रेन में लूज वायरिंग का होना।
- ट्रेन के रसोड़यान गैस पाइप लाइन का काटा फटा होना।
- ट्रेन के रसोड़यान में सिलिंडरों को सही तरीके से न रखना।



- यात्रियों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन करना।
- ज्वलनशील पदार्थों से लदे वाहनो की सीलिंग सही न करना या उसमे लीकेज का होना।
- पार्सल बुकिंग के समय रेड टेरीफ मालों की पहचान न करना और उन्हे सामान्य माल के साथ बुक कर देना।
- मोटर साइकिल/ स्कूटर आदि की बुकिंग करते समय उसमे पेट्रोल की मात्रा शून्य होने की सुनिश्चिति न करना।

**B. आग लगने से बचने के लिए की जाने वाली कार्यवाही :**

1. रेल परिसर मेंकचरों का अनावश्यक रूप से जमाव न होने दें।
2. स्टेशन परिसर में बीड़ी सिगरेट पीने वाले पीआर कड़ाई से रोक लगाए।
3. रेल पटरियों के आसपास सुखी घास को एकत्रित न होने दें।
4. कोई भी लूज इलेक्ट्रिक वायरिंग ना रखें।
5. आवश्यकता ना होने पर विद्युत गेजेट्स को बाद कर दें ताकि वे गरम ना हो।
6. जहां जीतने एम्पियर के साकेट की आवश्यकता हो वहाँ उतने ही एम्पियर के प्लग और साकेट लगाएँ।
7. रिले रूम के एसी को नियमित अंतराल पर बंद चालू करते रहे।
8. पार्सलों को सही तरीके से रखे।
9. ट्रेन मे लूज वायरिंग की जांच करें और उन्हे तुरंत ठीक करें।
10. समय समय पर गाड़ियों मे जांच अभियान चलकर सुनिश्चित करें की यात्रियों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन ना किया जा रहा हो।
11. ज्वलनशील पदार्थों जसी पेट्रोल, गैस , केरोसिन आदि से भरे वाहनो की सीलिंग सही तरीके से करें और सुनिश्चित करें की सीलिंग वायर ओएचई के संपर्क में ना आए।
12. पार्सल बुकिंग के समय रेड टेरीफ मालों की पहचान कर उन्हे अलग से लदान करवाएँ।
13. जीरो पेट्रोल लेवल वाली मोटर साइकिल/ स्कूटर को ही बुकिंग के लिए स्वीकार करें।
14. ज्वलनशील सामान से लदे वाहन के मामले में मार्शलिंग नियमों का ठीक से पालन करें।
15. सभी कार्य स्थलों पर आग से बचाव हेतु अग्निशामन उपकरण और आग की बाल्टियाँ उचित स्थान पर रखें।
16. सभी बड़ी बिल्डिंगों मे आपातकालीन फायर द्वार की व्यवस्था करें।
17. अग्निशामन यंत्रों की गुणवत्ता की जांच हेतु समय समय पर उनका परीक्षण करते रहे।
18. सभी रेल कर्मचारियों को फायर फाइटिंग की जानकारी प्रदान करें।
19. टीटीई और आरपीएफ द्वारा यात्रियों के सामानों की नियमित जांच कर सुनिश्चित करना चाहिए की कोई ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन तो नहीं किया जा रहा है।
20. वाणिज्य और सेक्यूरिटी विभाग द्वारा प्लेटफार्म, वेटिंग रूम, बुकिंग कार्यालय आदि परिसरों मे आग की रोकथाम से संबंधित पोस्टर लगाए जाएँ।



21.यांत्रिक विभाग द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए की सभी गाड़ियों में निम्न तरह से अग्निशमन यंत्र होने चाहिए

▪ लोको	प्रत्येक कैब मे 2
▪ ब्रेक यान	2
▪ एसी कोच	दोनों सिरे पर 1+1
▪ रसोई यान	4
▪ जनरेटर कार	4

22.यांत्रिक विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए की वेस्टिबुल कवरींग सही हो।

23 विद्युत विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोग में लाए जा रहे वायर और फ्यूज आरडीएसओ मानक के अनुसार है।

24. गाड़ियों के कोचो के प्रत्येक बड़े स्टेशन पर जंक्शन बॉक्स कि जांच करनी चाहिए।

25. सिगनलिंग विभाग के सभी कर्मचारी और पर्यवेक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि रिले और पेनल रूम के कोई वायर गरम तो नहीं हो रहे है।

26. सिगनलिंग विभाग के सभी कर्मचारी और पर्यवेक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि रिले और पेनल रूम के सभी वायर आरडीएसओ मानक के अनुसार उपयोग मे लाए गए है।

27. सभी डिपो पर आपदा प्रबंधन प्लान का बोर्ड लगाए ताकि आवश्यकता होने पर तुरंत सहायता कि मांग कि जा सके।

28. सभी कर्मचारियों को आग से लड़ने का आवधिक प्रशिक्षण दिया जन चाहिए।

**C.गाड़ी में आग लगाने पर की जाने वाली कार्यवाही:**

**स्टेशन मास्टर :**

जैसे ही स्टेशन मास्टर को पता चलता है किसी गाड़ी में आग लग गई है वह तुरंत -

☞ गाड़ी को खड़ी करवाएगा।

☞ आग लगे वहाँ को अन्य वाहनों से अलग करने की व्यवस्था करेगा।

☞ आग बुझाने के लिए स्टेशन पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर आग बुझाने का प्रयास करेगा।

☞ बाजू वाली लाइन से जाने वाली गाड़ी के संचालन को रोक देगा।

☞ नजदीक के अग्निशमन मुख्यालय को सूचना देकर फायर ब्रिगेड को बुलवाएगा।

☞ खंड नियंत्रक को सूचन देगा।

☞ डबल लाइन सेक्शन में अगर किसी गाड़ी को लाइन क्लियर दे दिया हो तो उसे रुकवाने का प्रयास करवाएगा।

☞ संबंधित अधिकारियों को सूचना देगा।



☞ यदि यात्री गाड़ी में आग लगी हो तो रेलवे अस्पताल और स्थानीय चिकित्सा हेतु सूचित करेगा।

☞ इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में टीपीसी को सूचना देकर ओएचई बंद करवाएगा।

#### **लोकोपायलट एवं सहायक लोकोपायलट :-**

जैसे ही एलपी/ एएलपी को पता चलता है की गाड़ी में आग लग गई है तो वे तुरंत -

☞ फ्लेशर लाइट जलाएंगे।

☞ गाड़ी को खड़ी करेंगे, परंतु यदि आग लगाने के स्थान से कुछ दूरी पर पानी की व्यवस्था हो और गाड़ी को वहाँ तक ले जाना सुरक्षित हो तो वहाँ तक ले जया जाएगा।

☞ गाड़ी को पुल पर खड़ी नहीं किया जाएगा।

☞ गाड़ी खड़ी होने पर आग बुझाने के सभी संभव प्रयास किए जाएँगे।

☞ आग लगे कोच/ वाहन को अन्य वाहनों से अलग किया जाएगा।

☞ सवारी गाड़ी में आग लगी हो तो सबसे पहले जानमाल की रक्षा की जाएगी।

☞ बाजू वाली लाइन से होने वाले संचालन को रोकेंगे।

#### **ट्रेन प्रबंधक: -**

जैसे ही ट्रेन प्रबंधक को पता चलता है की गाड़ी में आग लग गई है तो वे तुरंत -

☞ गाड़ी को खड़ी करवाएँगे, परंतु यदि आग लगाने के स्थान से कुछ दूरी पर पानी की व्यवस्था हो और गाड़ी को वहाँ तक ले जाना सुरक्षित हो तो वहाँ तक ले जया जाएगा।

☞ गाड़ी को पुल पर खड़ी नहीं किया जाएगा।

☞ गाड़ी खड़ी होने पर आग बुझाने के सभी संभव प्रयास किए जाएँगे।

☞ आग लगे कोच/ वाहन को अन्य वाहनों से अलग किया जाएगा।

☞ सवारी गाड़ी में आग लगी हो तो सबसे पहले जानमाल की रक्षा की जाएगी।

☞ बाजू वाली लाइन से होने वाले संचालन को रोकेंगे।

☞ नियमानुसार बाजू वाली लाइन का बचाव करेंगे।

☞ स्टेशन से आवश्यक सहायता की मांग करेंगे।

☞ यात्री कोच में आग लगी हो तो चिकित्सा सहायता की मांग करेंगे।

☞ यात्रियों को प्रथमोपचार देंगे।

☞ यदि पार्सल वाहन/ माल डिब्बे में आग लगी हो तो लेवल कार्ड उसमें लदे माल की जानकारी लेंगे।

☞ पूरी घटना की क्रोनोलाजी रिपोर्ट बनाएँगे।

#### **सेक्शन कंट्रोलर:**

जैसे ही सेक्शन कंट्रोलर को पता चलता है की किसी गाड़ी में आग लग गई है तो वे तुरंत:-

☞ ओएचई सप्लाई बंद करवाएँगे।

☞ बाजू वाली लाइन से होने वाले संचालन को रुकवा देंगे।



☞ दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को सूचित करेंगे।

☞ मुख्य नियंत्रक को सूचित करेंगे।

**मुख्य नियंत्रक कोचिंग:**

जैसे ही मुख्य नियंत्रक कोचिंग को पता चलता है की किसी गाड़ी में आग लग गई है तो वे तुरंत :-

☞ ओएचई सप्लाई बंद करवाएँगे।

☞ सभी अधिकारियों को सूचित करेंगे।

☞ सेक्युरिटी कंट्रोल को सूचना देंगे।

☞ संबंधित क्षेत्र की फायर ब्रिगेड को सूचित करेंगे।

☞ रेलवे और अन्य नजदीकी चिकित्सालयों को सूचना देंगे।

यह निर्देश केवल तत्काल संदर्भ के लिए है और किसी भी तरह से समय-समयपर जारी किए गए किसी भी नियमपुस्तिका/मैनुअल/जेपीओ/ज़ोनलपरिपत्र/मंडलीय परिपत्र/निर्देशोंका अधिक्रमण नहीं करता है। किसी भी संदेहकी स्थितिमें, संबंधित नियमपुस्तिकाओं और मध्यरेलवे में प्रचलित नियमोंका संदर्भ लिया जाना चाहिए।



(एस के जायसवाल)

मंडल संरक्षा अधिकारी

मध्य रेल, नागपुर

प्रतिलिपी : मंडलरेलप्रबंधक, नागपुर : कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपी : अपरमंडलरेलप्रबंधक(प्रशासन), नागपुर : कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपी : अपरमंडलरेलप्रबंधक(टेक्निकल), नागपुर : कृपया सूचनार्थ प्रेषित।



CENTRAL RAILWAY		DRM's Office, Safety Branch, Nagpur
-----------------	---	---

No. NGP/SFT.101.Z/SI/1-I2025-26

Date : 3<sup>rd</sup> April, 2025

**All Concerned,  
Nagpur Division**

**SAFETY INSTRUCTIONS NO. 1/2025-26  
SUB : PREVENTION OF FIRE.**

Fire is a chemical reaction that produces heat. To start a fire at any place it is necessary to have 3 things —

- ☞ Combustible substance
- ☞ Temperature and
- ☞ Oxygen

In case of fire, by detecting it in its early stage and taking follow-up action on it, it can be prevented from turning into a devastating one.

**A. Common causes of fire:**

Following are the common causes of fire in railway premises: —

- ☞ Unnecessary accumulation of waste.
- ☞ Smoking Bidi, Cigarettes in the Station Premises
- ☞ The presence of dry grass around the railway tracks having loose electric wiring
- ☞ To keep electrical gadgets in working condition for maximum time.
- ☞ Not using the proper ampere socket.
- ☞ Non-switching off relay room AC at regular intervals.
- ☞ Incorrect handling of parcels in the parcel office.
- ☞ Loose wiring in the train.
- ☞ Transport of flammable materials by passengers.
- ☞ Failure of sealing or leakage of vehicles laden with flammable materials.
- ☞ Non-identification of Red Tariff goods at the time of parcel booking and booking them with normal goods.
- ☞ Not to ensure that the amount of petrol is zero while booking a motorcycle/scooter etc.

**B. Actions to be taken to prevent fire:**

- ☞ Do not allow unnecessary accumulation of garbage in the railway premises.
- ☞ Strictly prohibit smoking **Bidi, Cigarettes** in the station premises.
- ☞ Do not allow dry grass to collect around railway tracks.



- Do not keep any loose electrical wiring.
- Switch off electrical gadgets when not needed so that they do not overheat.
- Connect the same number of ampere plugs and sockets where same ampere sockets are required.
- Switching off and on the AC of the relay room at regular intervals.
- Store parcels properly.
- Check for loose wiring in the train and fix them immediately.
- From time to time, check drives in trains to ensure that inflammable materials are not being transported by passengers.
- Sealing of vehicles filled with flammable materials like petrol, gas, kerosene etc. should be done properly and ensures that the sealing wire does not come in contact with OHE.
- Identify the Red Tariff goods at the time of parcel booking and get them shipped separately.
- Accept only motorcycles/scooters with zero petrol level for booking.
- Follow marshalling rules properly in case of vehicle loaded with inflammable goods.
- Keep fire extinguishing equipment and fire buckets in proper place for fire prevention at all work sites.
- Provision of emergency exit fire gates in all large buildings.
- To check the quality of fire extinguishers kept testing them from time to time.
- Provide fire fighting information to all railway employees.
- TTE and RPF should regularly check the baggage of passengers to ensure that no inflammable material is being transported.
- Posters related to fire prevention should be put up in the premises of platforms, waiting rooms, booking offices etc. by the Department of Commercial and Security.
- Mechanical department should ensure that all vehicles should have fire extinguishers in the following way :

Loco	:	2 nos. fire extinguisher in each cab
Brake vehicle	:	2
AC coach at both ends	:	1+1
Pantry car	:	4
Generator car	:	4

- The Mechanical Department should ensure that the vestibule covering is correct.
- The Electricity Department should ensure that the wires and fuses being used are as per RDSO standard.
- Checking of junction boxes at every major station in the coaches of trains.
- All employees and supervisors of Signalling Department should ensure that there is no overheating of relay and panel room wires.
- All employees and supervisors of Signalling Department should ensure that all wires of relay and panel room are used as per RDSO standard.
- Boards of Disaster Management Plan should be put up at all the depots so that immediate assistance can be sought if required.
- All employees should be given periodic training in fire fighting.



**C. Action to be taken if the vehicle is set on fire:**

**i) Station Manager:**

As soon as the Station Master comes to know that a train has caught fire, he immediately :

- ❖ Will get the train stopped.
- ❖ Make arrangements to separate the fire from other vehicles.
- ❖ Will try to put out the fire by using the resources available at the station to extinguish the fire.
- ❖ Will stop the movement of the train going on the adjacent line
- ❖ Will call the fire brigade after informing the nearest fire headquarters.
- ❖ Will inform the Section Controller .
- ❖ If a train has been given line clear in the double line section, then it will try to stop it.
- ❖ Will inform the concerned authorities.
- ❖ If there is a fire in the passenger train, the railway will inform the hospital and local for medical treatment.
- ❖ In electrified section, OHE will be closed by informing TPC.

**(ii) Loco Pilot & Assistant Loco Pilot :**

- ❖ When he learns that the train has caught fire, he immediately -
- ❖ Flasher lights will be ON.
- ❖ The Train shall be stopped, but if there is a provision of water at some distance from the Place of fire and if it is safe to take the train there, then it will be taken there.
- ❖ The train shall not be stopped on the bridge, tunnels & cuttings.
- ❖ All possible efforts will be made to extinguish the fire when the train is stopped.
- ❖ Coach/Vehicle on fire shall be isolated from other vehicles.
- ❖ If there is a fire in the passenger train, then life and property will be protected first.
- ❖ Will stop the operation from the adjacent line.

**(iii) Train Manager:-**

As soon as the Train Manager comes to know that there is a fire in the car, he will immediately:

- ❖ Will stopped the train, but if there is a water system at some distance from the place of fire and it is safe to take the train there, then it will be taken there.
- ❖ The train shall not be stopped on the bridge.
- ❖ All possible efforts will be made to extinguish the fire when the vehicle is parked.
- ❖ Coach/Vehicle on fire shall be isolated from other vehicles.
- ❖ If there is a fire in the passenger train, then life and property will be protected first.
- ❖ Will stop the operation from adjacent line.
- ❖ Will protect the adjacent line as per rules.



- ❖ Will seek necessary assistance from the station.
- ❖ If there is a fire in the passenger coach, then seek medical help.
- ❖ Will give first aid to the passengers.
- ❖ If there is a fire in the parcel vehicle / wagon, then from level card, will take information about the goods loaded in it.
- ❖ Prepared a chronology report of the entire incident.

iv) **Section Controller:**

As soon as the Section Controller comes to know that there is a fire in a vehicle, he shall immediately:-


- ❖ Will stop OHE supply.
- ❖ Will stop the operation on the adjacent line.
- ❖ Will inform the station master on both sides.
- ❖ Will inform the Chief Controller.

v) **Chief Controller Coaching:**

As soon as the Chief Controller Coaching comes to know that there is a fire in a train, he will immediately:-

- ❖ Will stop OHE supply.
- ❖ Will inform all the authorities.
- ❖ Will inform the security control.
- ❖ Will inform the fire brigade of the concerned area
- ❖ Will inform railways and other nearby hospitals.

**NOTE:-** This instruction is only for a ready reference and in no way supersede any rule books/manuals/JPO/Zonal circulars/Divisional Circulars/Instructions issued from time to time. In case of any doubt, concerned rule books and literature prevailing in Central Railway should be referred.

  
 (S.K. Jaiswal)  
 DSO/Nagpur

C/-	DRM/Nagpur :	for kind information please.
C/-	ADRM(Admn)/Nagpur :	for kind information please.
C/-	ADRM(Tech)/Nagpur :	for kind information please.